

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
104 / 2023 प्रा.पत्र / 2023

तारीख दायरा
26.09.2023

तारीख निर्णय
08.12.2023

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंकप्रार्थी

बनाम

- 1-श्री मोहित पारीक पुत्र श्री रामकृष्ण पारीक निवासी महावीर नगर गंगा जमुना गार्डन के पास निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स वंशिका एन्टरप्राइजेज महावीर नगर गंगा जमुना गार्डन के पास निवाई जिला टोंक। पिनकोड-304021 मोबाईल नं.- 9461320008
- 2-मैसर्स वंशिका एन्टरप्राइजेज महावीर नगर गंगा जमुना गार्डन के पास निवाई जिला टोंक। पिनकोड-304021
- 3-श्री सुमित कुमार विजय पुत्र श्री अशोक कुमार विजय निवासी 95 कचौलिया रोड, मगध नगर, तह. चौमूं जिला जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स मां वैष्णो मार्केटिंग एफ-95 भगत सिंह सर्किल के पास, मगध नगर, चौमूं जिला जयपुर राज.। पिनकोड-303702
- 4-मैसर्स मां वैष्णो मार्केटिंग एफ-95 भगत सिंह सर्किल के पास, मगध नगर, चौमूं जिला जयपुर राज.। पिनकोड-303702
- 5-श्री समिक कुमार चौधरी पुत्र श्री कालीपाडा चौधरी निवासी वार्ड नं. 35, अस्पताल रोड टि.आर.टी.सी. के पास, चौधरी विला, प्रान नगर अगरतला, वेस्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा मैसर्स प्रान बेवरेजेज (इण्डिया) प्रा. लि. उत्तराखण्ड हिमालयन फूड पार्क, महुआखेडागंज, काशीपुर, उद्यम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। पिनकोड-244713
- 6-मैसर्स प्रान बेवरेजेज (इण्डिया) प्रा. लि. उत्तराखण्ड हिमालयन फूड पार्क, महुआखेडागंज, काशीपुर, उद्यम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। पिनकोड-244713

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थीगण स्वयं उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 08.12.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.03.2023 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स वंशिका एन्टरप्राइजेज महावीर नगर गंगा जमुना गार्डन के पास निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री मोहित पारीक पुत्र श्री रामकृष्ण पारीक मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री



मोहित पारीक ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान के गोदाम में लगभग 10-12 कार्टून में मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 150-150 एम.एल. पैक फ्रूट ड्रिन्क लीची (प्रान ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री मोहित पारीक को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मोहित पारीक व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह फ्रूट ड्रिन्क लीची (प्रान ब्राण्ड) जिसके बैच नं. 095-03 एवं पैकिंग की दिनांक 15.02.2023 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 150-150 एम.एल. के 28 पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा फ्रूट ड्रिन्क लीची (प्रान ब्राण्ड) 150-150 एम.एल. के 28 पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग 7-7 बोतल को खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3527 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3527 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री मोहित पारीक पुत्र श्री रामकृष्ण पारीक ने बतौर वारन्टी मैसर्स मां वैष्णो मार्केटिंग एफ-95 भगत सिंह सर्किल के पास, मगध नगर, चौमूं जिला जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त पेय पदार्थ कय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स मां वैष्णो देवी मार्केटिंग से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स प्रान बेवरेजेज (इण्डिया) प्रा. लि. उत्तराखण्ड हिमालयन फूड पार्क, महुआखेडागंज, काशीपुर, उद्यम सिंह नगर, उत्तराखण्ड का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर इसे उक्त पेय पदार्थ का निर्माता होना



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1802 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./941/एक्ट/2023/1026 दिनांक 29.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया फूट ड्रिन्क लीची (प्रान ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस फूट ड्रिन्क लीची (प्रान ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया फूट ड्रिन्क लीची (प्रान ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रुपये 60,000/- (अक्षरे साठ हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.12.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0